राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

शैक्षिक समाचार राजस्थान

क्रमांकः प.1 (20)(2) रानिआ / लेखा / बजट / 2019–20 / 3848 दिनांकः 7-10-19

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 4460 दिनांक 02.10.2014 क्रमांक 3853 दिनांक 09.11.2017 के अतिक्रमण में चुनाव कार्य में नियोजित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाते हुये नगरनिकायों के चुनाव और पंचायत चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मचारी, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस (कानून व व्यवस्था को छोडकर) को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यात्रा भत्ता की समान दरें निर्धारित की है, जो निम्नानुसार हैः–

1. इन नियमों में जिन शर्तो का कोई विशेष अर्थ नही दिया गया है उनका अर्थ राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में विहित है, जो समय–समय पर संशोधित किये जाते है।

2. **यात्रा भत्ता दावेः–** चुनाव ड्युटी पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावें जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आहरित एवं संवितरित किये जायेंगे। यह व्यय सम्बंधित चुनाव बजट मद (नगरनिकाय / पंचायत) से किया जायेगा।

3. **दैनिक भत्ताः–** मतदान / मतगणना ड्युटी में नियोजित समस्त कर्मचारी (आरक्षित दल सहित) को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने, मतदान सामग्री एकत्रित करने एवं मतदान / मतगणना ड्युटी के लिये की गई यात्रा हेतु निम्न दरों पर दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगाः–

S.No.	Name of post	Daily Allowance per day or part thereof
1	Sector officer/Area/Zonal Magistrate	Rs. 600 Per Day
2	Returning Officer (Panchayat)	Rs. 500 Per Day
3	Presiding Officer	Rs. 500 Per Day
4	Polling Officer	Rs. 400 Per Day
5	Asstt. Polling Officer (Class-IV)	Rs. 250 Per Day
6	Counting Supervisor	Rs. 500 Per Day
7	Counting Assistant	Rs. 400 Per Day
8	Police Personnel (attach with Polling Party/Zonal Magistrate)	Rs. 350 Per Day
9	Other Staff (As per Class-IV)	Rs. 250 Per Day

नोटः–

(i) उपरोक्त दरें चुनाव कार्य में धारित पदानुसार निर्धारित की गई है। मतदान / मतगणना कार्यो के लिये कर्मियों को होटल चार्जेज देय नही होंगें।

(ii) प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने वाले कार्मिको को दैनिक भत्ता देय होगा।

(iii) मतदान / मतगणना कार्मिकों को उपरोक्त दैनिक भत्ते की देयता जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रिर्पोटिंग समय से होगी।

7.10.2015

(iv) नगरनिकाय/पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान दल की सहायतार्थ तैनात की गई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को IV श्रेणी में मानते हुये 250/– की दर से दैनिक भत्ता एवं अल्पाहार/लंच पैकेट देय होगा।

4. **राज्य सरकार के कर्मचारी को यात्रा भत्ता की देयता निम्नानुसार होगीः–**

(i) ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय रिर्पोटिंग सेन्टर से 15 किमी. की परिधि में है, वे आकस्मिक शुल्क (incidental charges) व माइलेज भत्ते हेतु पात्र नही होंगे। कस्बे व शहर की स्थिति में यह सीमा संबंधित नगरपालिका की सीमा तक विस्तृत होगी।

(ii) मतदान/मतगणना ड्युटी में नियुक्त कर्मचारी यदि अपने मुख्यालय से 15 किमी. दूर ड्युटी पर है तो उसे विश्राम भत्ते के अलावा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(iii) राजकीय कर्मचारी का मुख्यालय रेल व बस सेवा से नहीं जुड़ा होने की स्थिति में 15 किमी. से अधिक यात्रा पैदल/साईकिल या अन्य साधनों से पूरी करने पर 2/– प्रति किमी. की दर से यात्रा भत्ता देय होगा।

5. **प्रभारी अधिकारी द्वारा ड्युटी सत्यापन पश्चात भुगतानः–** यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का भुगतान दावों की जांच उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव बजट मद से देय होगा। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्युटी पर प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिको के लिये पृथक रजिस्टर (मतदान कर्मियों के रजिस्टर की तर्ज पर) बनाया जायेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल सत्यापन पश्चात् अविलम्ब रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टी की जावेगी। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिको को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नही होगा।

6. मतदान/मतगणना दल के सदस्यों के अतिरिक्त चुनाव कार्य में सम्मिलित कार्मिको को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार देय होगा।

7. **मतदान दलों को अल्पाहारः–** वास्तविक मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में तैनात पुलिस कार्मिकों, होम गार्ड/फॉरेस्ट गार्ड/ग्राम रक्षक दल/NCC (service) भूतपूर्व सैनिक/CPF/BLO/मतदान बूथ सहायक आदि को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/– नकद का भुगतान किया जाये। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनावी कार्य में तैनात कार्मिकों को वास्तविक मतदान दिवस के लिये ही भुगतान किया जाये। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में तैनात पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार देय नही होगा। उपरोक्त व्यय संबंधित चुनाव बजट मद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

8. **मतगणना कर्मचारियो को अल्पाहारः–** मतगणना केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों (पुलिस कार्मिकों सहित) को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/– रू. नकद भुगतान किया जाये। यह भुगतान मतगणना केन्द्रों पर मतगणना दिवस पर वास्तविक मतगणना कार्मिकों को किया जायेगा। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में नियोजित पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार का भुगतान मान्य नही होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

7.10.2015

9. **मतदान दलों के सदस्यों हेतु यात्रा भत्ता बिल बनाने की प्रक्रिया, जांच और भुगतानः–**

(i) सभी मतदान कार्मिको द्वारा प्रशिक्षण के अन्तिम दिन Part-I व Part-II की प्रविष्टी पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना यात्रा भत्ता दावा (प्रपत्र संलग्न कर) एक प्रति में प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों में वर्णित उपस्थिति को सत्यापित किया जायेगा।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियम–3 के अनुसार भुगतान हेतु मान्य कुल कार्य दिवस की प्रविष्टी Part-III में की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिये यात्रा भत्ता दावों की एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। यात्रा भत्ता दावों का विवरण प्रतिलिपि (Duplicate) में तैयार किया जा सकता है और इस विवरण की एक प्रति D.C. Bill के साथ महालेखाकार कार्यालय राजस्थान जयपुर को भेजी जाये एवं एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जायेगी।

(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति पश्चात् मुख्यालय वापसी तक के किराये सहित यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे की जाँच की जायेगी।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों को देय यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों की उपरोक्त विवरणानुसार गणना करेगा। गणना की गई राशि के समान राशि का भुगतान पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री प्रदान करते समय या मतदान के अन्तिम दिन से पूर्व किया जायेगा।

(v) जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों के यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों हेतु आवश्यक राशि पीठासीन अधिकारी को देने हेतु A.C. Bill के माध्यम से अग्रिम आहरित करेगा। इस राशि के एकजाई बिल D.C. Bill द्वारा महालेखाकार जयपुर राजस्थान में प्रस्तुत किये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के सभी सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे के बिलों को मतदान ड्यूटी से मुक्त होने के समय स्वयं के यात्रा भत्ता एवं अन्य बिलों की उचित रसीद प्रत्येक मतदानकर्मी से प्राप्त करेगा।

(vi) चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों का लेखा (प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि संलग्न कर) संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा ।

10. पीठासीन अधिकारी द्वारा नगर निकाय/पंचायत चुनाव हेतु जब्त जमानत राशि को संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा। तत्पश्चात् आयोग के कार्यालय आदेश क्रमांक 2176 दिनांक 20.06.2019 एवं क्रमांक 2283 दिनांक 09.07.2019 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त आशय का लेखा संधारित कर प्राप्त जब्त जमानत राशि को संबंधित मद में जमा कराया जायेगा।

11. पुलिस कार्मिक (सामान्य कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त), होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड SPO मतदान पार्टी/सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/एरिया मजिस्ट्रेट आदि पर यह नियम लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी बजट से इनके यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया जायेगा।

12. **जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों हेतु रजिस्टर का संधारणः–** संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दलों (पुलिस कार्मिकों सहित) के यात्रा भत्ता दावों हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। मतदान दल सदस्यों द्वारा

यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये जाने पर ड्यूटी सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित अन्य आवश्यक इन्द्राज रजिस्टर में किये जायेंगे।

13. नगर निकाय चुनाव/पंचायत चुनाव में मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वेच्छा से ड्यूटी निरस्त करवा लेते है, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

14. उपरोक्त निर्देश समस्त कार्मिक यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय स्वायत संस्थानों, निकायों, सरकारी व अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि पर लागू होगें।

यह आदेश वित्त विभाग (व्यय–V) की आई.डी. संख्या 101704852 दिनांक 06.10.2017 (यात्रा भत्ता दर) एवं आई.डी. संख्या 331900439 दिनांक 11.06.2019 (अल्पाहार दर) के क्रम में जारी किया गया है।

7.10.2019

(अशोक कुमार जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.1 (20)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2019–20/3849-63 दिनांकः 7.10.2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, होम गार्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–V) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप सचिव, गृह (Gr-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
10. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त जयपुर और जोधपुर।
11. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
13. उप सचिव/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
14. पंचायत/नगरपालिका चुनाव अनुभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
15. वेबसाइट/ईमेल के लिए कम्प्यूटर सेल।
16. गार्ड फाइल।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

PART – I

T.A. BILL FOR MEMBERS OF POLLING PARTY
(General Details)

Name, Designation and Department ....

Basic Pay .... Polling Party No. ....

Position in polling party :-

R.O. (Panchayat)/ Presiding Officer/ Polling Officer/ Class IV ....

Headquarter ....

Distance from District Headquarter .... Kilometers ....

PART – II

T.A. UPTO THE STAGE OF REPORTING FOR POLL DUTY TO BE COMPLETED BY CLAIMANT

Departure			Arrival			Mode of travel	Halt			Purpose of Journey
Place	Date	Time	Place	Date	Time		Days	D.A.	Fare	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.						Total				

Verified

Officer-in-Charge

Signature of Claimant

PART – III

(T.A. for poll duty halting allowance and return journey to be completed by Election Officer)

Halt days of poll duty halting allowance	Rs. ....
Return journey fare (at coming journey rate)	Rs. ....
Add amount of Part II (a) halting allowance (b) fare	Rs. ....

Total T.A. Claims	Rs. ....

Add Amount for light refreshment ....

Total ------------------------------------

Amount in words ....

Checked | Authorized for payment

Signature of Accountant/
Jr. Accountant

Signature of Officer-in-charge
Accounts

DISBURSEMENT

Certified that the claimant has remained in camp for full poll duty

payment attested. | received payment

Signature (Name of the Presiding Officer)

Party No. ....

Signature of the Claimant

Note:- Deduction will be made by Presiding Officer for any absence from poll duty and a note be recorded on this sheet.

T.A. BILL REGISTER OF POLLING STAFF

S.No.	Name of Official	Designation and Department	Place of Posting	Polling Party No.
1	2	3	4	5

R.O (Panchayat)/ Presiding/ Polling Officer/Class IV	Training attended on the date	Fare up to report for poll duty	Training Duty Halt days	Poll duty halt days
6	7	8	9	10

Halting allowance Total	Return Journey fare	Total amount (Col. 8, 11 & 12)	Remarks	Signature of Officer In charge
11	12	13	14	15